



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

3051/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2023

दिनांक 21/12/23

क्र.

संशोधित आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
पीपुल्स विश्वविद्यालय  
भोपाल(म.प्र.)

विषय--शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश क्र. 2020 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधीन की गई है। उक्त शुल्क समीक्षा हेतु जारी आदेश में टंकण त्रुटि होने के कारण आदेश को निरस्त कर संशोधित किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पाठ्यक्रमों के शुल्क में संशोधन किया गया है। तदनुसार विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संशोधित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये लाख में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	People's College of Medical Science	MBBS	20.0	13.64	2.41	16.05
2	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical (Radio & Derma)	23.0	16.69	2.94	19.63
3	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical (Medicine)	20.0	14.89	2.63	17.52
4	People's College of Medical Science	MS Obstric & Gynecology	20.0	14.92	2.63	17.55
5	People's College of Medical Science	DM (Endocrinology)	24.0	15.77	2.78	18.55

निरंतर-02

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रूपये लाख में)

6	People's College of Medical Science	MD/MS Clinical (Others)	19.0	14.15	2.50	16.65
7	People's College of Medical Science	MD/Non Clinical	4.50	3.83	0.68	4.50
8	People's College of Medical Science	MD/ Pathology	7.50	6.38	1.13	7.50
9	People's College of Medical Science	MSC Medical	1.0	0.85	0.15	1.00
10	People's College of Dental Science	BDS (PCDS)	2.38	1.82	0.32	2.14
11	People's College of Dental Science	MDS/ Clinical (PCDS)	6.62	5.13	0.90	6.03
12	People's College of Dental Science	MDS/ Nonclinical (PCDS)	3.0	2.55	0.45	3.00
13	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Hygienist Dental	0.75	0.64	0.11	0.75
14	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Mechanic	0.75	0.64	0.11	0.75
15	People's Dental Academy	BDS (PDA)	2.14	1.82	0.32	2.14
16	People's Dental Academy	MDS/ Clinical (PDA)	6.03	5.13	0.90	6.03
17	People's Dental Academy	MDS/ Nonclinical (PDA)	3.00	2.55	0.45	3.00
18	People's College of Nursing Science	PBSC	0.67	0.57	0.10	0.67
19	People's College of Nursing Science	BSC Nursing	1.20	0.94	0.16	1.10
20	People's College of Nursing Science	MSC Nursing	1.19	1.01	0.18	1.19
21	People's College of Paramedical Science	DDT	0.52	0.31	0.06	0.37
22	People's College of Paramedical Science	DMLT	0.52	0.32	0.06	0.38
23	People's College of Paramedical Science	BPT	0.80	0.43	0.07	0.50

निरंतर-03

//03//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये लाख में)

24	People's College of Paramedical Science	BMLT	0.80	0.42	0.07	0.49
25	People's College of Paramedical Science	MPT	1.34	0.94	0.17	1.11
26	School of Pharmacy and Research	B-Pharma	0.71	0.60	0.11	0.71
27	School of Pharmacy and Research	M-Pharma	1.68	1.43	0.25	1.68
28	School of Pharmacy and Research	D-Pharma	0.75	0.64	0.11	0.75
29	School of Research & Technology	B-Tech	0.66	0.56	0.10	0.66
30	School of Research & Technology	Diploma	0.35	0.30	0.05	0.35
31	School of Research & Technology	M-tech	1.03	0.88	0.15	1.03
32	People's Institute of Hotel Management	BBA (HIA)	0.61	0.52	0.09	0.61
33	People's Institute of Hotel Management	BHMCT	0.60	0.51	0.09	0.60
34	People's Institute of Hotel Management	PG DHMCT	0.37	0.31	0.06	0.37
35	People's Institute of Management & R.C	BBA	0.30	0.26	0.04	0.30
36	People's Institute of Management & R.C	B.Com	0.18	0.15	0.03	0.18
37	People's Institute of Management & R.C	MBA	0.70	0.60	0.10	0.70
38	People's Institute of Management & R.C	MBA HA	0.85	0.72	0.13	0.85

निरंतर-04

//04//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रूपये लाख में)

39	People's Institute of Management & R.C	M.Com	0.19	0.16	0.03	0.19
40	University Teaching Department	LLM	0.60	0.51	0.09	0.60
41	University Teaching Department	MA	0.30	0.26	0.04	0.30
42	University Teaching Department	Ph.D	1.20	0.94	0.16	1.10
43	University Teaching Department	MSW	0.30	0.26	0.04	0.30
44	University Teaching Department	BSC Biotech	0.60	0.51	0.09	0.60
45	University Teaching Department	MSC	0.80	0.68	0.12	0.80
46	University Teaching Department	BSC (Electronic Media)	0.30	0.26	0.04	0.30
47	University Teaching Department	Bachelor of Journalism	0.30	0.26	0.04	0.30
48	University Teaching Department	MA Mass Communication	0.49	0.42	0.07	0.49

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2022-23 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

निरंतर-05





// 05 //

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल



भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।



सचिव  
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

2356 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2023

क्र.

दिनांक 22/9/23

## संशोधित आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
पीपुल्स विश्वविद्यालय  
भोपाल(म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश क्र. 2020 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधीन की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क समीक्षा आदेश में पुनर्विचार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेखित है कि विश्वविद्यालय में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों के शुल्क में अत्याधिक कमी हो गयी है। जिस पर पुनर्विचार किया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर शुल्क समीक्षा समिति द्वारा पुनर्विचार एवं परीक्षण उपरांत कुछ पाठ्यक्रमों के शुल्क में आंशिक संशोधन किया गया है। तदनुसार विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संशोधित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	People's College of Medical Science	MBBS	20.0	1389750	245250	1635000
2	People's College of Medical Science	MD/MS clinical (Radio & Derma)	23.0	1687250	297750	1985000
3	People's College of Medical Science	MD/MS clinical (Medicine)	20.0	1511300	266700	1778000

निरंतर-02

24/11/23

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

4	People's College of Medical Science	MS Obstruct & Gynecology	20.0	1511300	266700	1778000
5	People's College of Medical Science	DM(Endocrinology)	24.0	1619250	285750	1905000
6	People's College of Medical Science	MD/MS clinical (Others)	19.0	1440750	254250	1695000
7	People's College of Medical Science	MD/Non clinical	4.50	382500	67500	450000
8	People's College of Medical Science	MD/ Pathology	7.50	637500	112500	750000
9	People's College of Medical Science	MSC Medical	1.0	85000	15000	100000
10	People's College of Dental Science	BDS(PCDS)	2.38	187000	33000	220000
11	People's College of Dental Science	MDS/ Clinical(PCDS)	6.62	527850	93150	621000
12	People's College of Dental Science	MDS/ Non Clinical(PCDS)	3.0	255000	45000	300000
13	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Hygienist Dental	0.75	63750	11250	75000
14	People's College of Dental Science	Diploma in Dental Meehanic	0.75	63750	11250	75000

नोट- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

निरंतर-03

*Am*

*Am*

22/8/24

//03//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
  3. सत्र 2022-23 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायें।
  4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
  5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
  6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
- (अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी.साहू)  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल